बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्य (वित्त) मंत्री

(फरवरी, 2010)

विषय सूची पृष्ठ

वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	01-04
मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	05-08
राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	09-14

वृहद आर्थिक रूप-रेखा विवरणी

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष भी प्राकृतिक आपदा से अछूता न रहा। पिछले वर्ष कोसी बांध के टूटने से हुई अपूरणीय क्षति के तुरंत बाद इस वर्ष राज्य के 26 जिले सूखे की चपेट में आ गए। सूखे से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को डीजल तथा बीज अनुदान के लिए 440.70 करोड़, पेयजल के लिए 5 करोड़, पशु चारे के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की। सूखे का मुकाबला करने के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक क्विंटल अनाज भी उपलब्ध कराया गया ताकि भुखमरी का कोई शिकार न होने पाए।

पिछले दो वर्षों से विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित हुई है। जहाँ एक ओर निर्यात की वृद्धि दर में कमी आयी है, नये रोजगार के सृजन भी प्रभावित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर केन्द्रीय करों पर पड़ा है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में जितनी राशि की प्राप्ति की अपेक्षा थी उससे काफी कम प्राप्त हो रही है। वर्ष 2008-09 में 17692.51 करोड़ की राशि केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त हुई थी। इसके विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में 18153.98 करोड़ की राशि प्राप्त होने की संभावना है। केन्द्रीय करों के हिस्से में हुई ह्रास के बावजूद भी विकास की दर को प्रभावित होने नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को इस अवधि में 2008-09 में 7325.46 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष में 9109.59 करोड़ तक लाया है।

ऐतिहासिक रूप से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में काफी उतार-चढ़ाव देखा जाता रहा है। इसका मुख्य कारण राज्य की अर्थ व्यवस्था का कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना है जो स्वयं मानसून पर निर्भर है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2009 की अवधि में औसत विकास दर 11% से अधिक रहा है जो राष्ट्र की औसत से लगभग 3% अधिक है। यह वृद्धि एक-दो प्रक्षेत्रों में सीमित न रहकर लगभग सभी प्रक्षेत्रों में हुई है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में वृद्धि दर 5.58% रहा है जबकि निर्माण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट में क्रमशः 35.8%, 17.58%, 17.71% की वृद्धि हुई है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रक्षेत्रवार विवरण से स्पष्ट है कि कृषि पर राज्य की निर्भरता पिछले दशक में कम हुई है। जहाँ इस प्रक्षेत्र का योगदान 2000-01 में 39.03% था वह अब घटकर 2008-09 में 26.24% रह गया है। द्वितीयक (Secondary) एवं तृतीयक (Tertiary) प्रक्षेत्र में इस अवधि में वृद्धि हुई है। सम्प्रति सेवाएँ(तृतीयक) सकल घरेलू उत्पाद का 56. 05% है जबकि द्वितीयक सेक्टर 17.71% है। कृषि प्रक्षेत्र पर घटती हुई निर्भरता तथा उद्योग एवं सेवाओं में हो रही वृद्धि राज्य के विकासोन्मुख होने के तथ्य को दर्शाता है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। 2007-08 में यह मात्र 10570 रूपये था जबकि राष्ट्रीय औसत 33283 रूपये है। इस प्रकार राज्य का औसत प्रति व्यक्ति आय देश के औसत प्रति व्यक्ति आय की एक तिहाई से थोड़ी कम है। यह भी देखा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी काफी विषमता है। वर्ष 2006-07 के आंकड़ों के अनुसार जहाँ यह राशि पटना, मुंगेर एवं बेगुसराय में क्रमशः 37737, 12370 एवं 10409 थी वहीं यह राशि जमुई, अररिया एवं शिवहर के लिए क्रमशः 5516, 5245 एवं 4398 रूपये ही है। सामान्यतः दक्षिण बिहार के जिलों के लिए ये आंकड़े उत्तर बिहार के जिलों से अधिक है।

ऋण जमा अनुपात की प्रवृत्तियाँ

वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात बहुत हद तक किसी राज्य के आर्थिक विकास के स्तर और ऋण उपयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। 1990 के दशक तक बिहार में ऋण जमा अनुपात देश के न्यूनतम स्तर पर था। यद्यपि इसमें 2000-01 के बाद कुछ सुधार हुआ मगर 2006-07 में भी यह देश के न्यूनतम स्तर पर ही था। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार यह अनुपात 60% होना चाहिए जबकि बिहार में यह तत्काल 33% ही है। विभिन्न जिलों में इस अनुपात में भिन्नता है। 40% से अधिक अनुपात कैमूर, मुजफ्फपरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार में रहा है जबकि यह सबसे कम सीवान जिले के लिए 20.15% है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात वाणिज्यिक बैंकों से अधिक है। यदि विगत वर्षों में राज्य में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के कुल ऋण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी की समीक्षा की जाए तो यह दृष्टिगत होता है कि कृषि, उद्योग एवं निजी ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। जहाँ कृषि प्रक्षेत्र की हिस्सेदारी 2002-03 में 20.9% थी, अब वह बढ़कर 2006-07 में 24.2% हो गई है। उसी प्रकार उद्योग में यह आंकड़ा 2002-03 में 14.2% से बढ़कर 2006-07 में 22% हो गया है।

राज्य के ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं होने का कारण बड़े उद्योगों को लगाने के लिए आधारभूत संरचना का अभाव रहा है। पिछले वर्षों में आधारभूत संरचना में सुधार लाने हेतु किए गए उपायों तथा विधि व्यवस्था की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होने के कारण आद्यौगिक वातावरण में काफी प्रगति हुई है। इस अनुपात के कम रहने का एक कारण राज्य के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का न होना भी है। राज्य में सम्प्रति 22500 की आबादी पर एक बैंक की शाखा है जबकि देश में यह औसत 15000 है। राष्ट्रीय औसत तक बिहार को ले जाने के लिए 2500 नई शाखाओं के खोले जाने की आवश्यकता है। अब राज्य में मात्र एक ही प्रखण्ड ऐसा है जहाँ कोई वाणिज्यिक बैंक अथवा ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करती है, द्वारा दो हजार से अधिक आबादी वाले ऐसे सभी गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जहाँ या तो बैंक शाखा खोलकर अथवा Business Correspondent/Business Facilitators के माध्यम से बैंकिंग सेवा पहुंचाई जाएगी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास किसी भी अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक सेवाओं में वर्ष 2008-09 में कुल व्यय 12892.11 करोड़ का हुआ है जबकि 2009-10 में 17358.15 करोड़ का पुनरीक्षित प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में इसे बढ़ाकर 19342.14 करोड़ किया जा रहा है। उसी प्रकार आर्थिक सेवा में 2008-09 में 11315.69 करोड़ के व्यय को बढ़ाकर 2009-10 में पुनरीक्षित प्राक्कलन 15500.74 करोड़ तथा अगले वित्तीय वर्ष में 15934.45 करोड़ किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रक्षेत्र में शिक्षकों एवं चिकित्सकों की नियुक्ति, अस्पताल निर्माण एवं दवाओं एवं शिक्षण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। राज्य के अस्पतालों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की जाँच की मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है। सुदूर क्षेत्रों में चलन्त मेडिकल यूनिट द्वारा भी स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुंचाई जा रही है।

राज्य के 40 लाख अशिक्षित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सभी ऐसी छात्राओं जिन्होंने कक्षा 10 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की है उन्हें 10 हजार रूपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं को उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री साइकिल योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 4.50 लाख बालिकाओं को साइकिल दिया जा रहा है।

राज्य में सड़कों की जाल में सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। जहाँ 2005-06 में सड़कों में 263.22 करोड़ की राशि व्यय हुई थी 2008-09 में 2489.15 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो दस गुणा है। 2008-09 में 2417किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किए जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ किया गया है जिसमें 500 की आबादी वाले गाँव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत अब तक 520 पुलों के लक्ष्य के विरूद्ध 375 पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 1104 छोटे पुलों का भी निर्माण हुआ है।

योजना आयोग द्वारा बन्द पड़े बरौनी तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह के इकाईयों के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण के लिए नवम्बर, 2009 में 1053 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत दी गई है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बरौनी में विद्युत बोर्ड द्वारा 2X250 मेगावाट क्षमता के विस्तार तथा NTPC के साथ बनाए गए उपक्रम द्वारा कांटी में 2X195 मेगावाट के क्षमता विस्तार की योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। NTPC के साथ बनाए गए संयुक्त उपक्रम द्वारा नवीनगर में स्थापित किए जाने वाले 3X660 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत गृहों के निर्माण के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

उपर्युक्त सभी कदमों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा लगभग 209 प्रस्ताव स्वीकृति हुए हैं। कार्यान्वित तथा अंतिम चरण के प्रस्तावों को मिलाकर 1033 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश हुआ है।

परिदृश्य

मंदी तथा सुखाड़ के कारण विकास के लिए संसाधन जुटाने में बाधा हुई है किन्तु फिर भी अपने प्रयासों से विकास की गति को कम नहीं होने दिया गया। निजी निवेश के लिए भी औद्योगिक वातावरण में सुधार हुआ है। अतः आगामी वर्ष में राज्य के चहुंमुखी विकास का सकारात्मक परिदृश्य है।

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. स.	मद	वास्तविकी	महालेखाकार के आँकड़ें	बजट अनुमान	लक्ष्य	
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	सकल घरेलू उत्पाद	114721.52	131873.22	129433.35	168302.82	185133.10
2	राजस्व बचत	4645.00	4469.11	6122.40	6556.70	7212.37
3	राजकोषीय घाटा	1703.00	2506.98	3695.95	4593.56	5553.99
4	लोक ऋण(वर्ष के अंत में शेष)	35045.45	39291.06	42981.34	47566.65	53120.64
5	कर राजस्व	21852.00	23865.25	31026.37	34244.10	37668.51
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	4.05	3.39	4.73	3.90	3.90
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	1.48	1.90	2.86	2.73	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	19.05	18.10	23.97	20.35	20.35
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	30.55	29.79	33.21	28.26	28.69

1. मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधित विवरण में अन्तर्निहित पुर्वानुमानों सहित विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकण और उत्पादक परिसम्पतियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है।

2. वर्ष 2007-08 की वास्तविकी, वर्ष 2008-09 के महालेखाकार के आंकड़े 2009-10 का बजट अनुमान तथा 2010-11 एवं 2010-12 परिवर्तनीय लक्ष्य की विवरणी आरम्भ में ही अवलोकनीय है।

3. वर्ष 2007-08 की वास्तविकी से स्पष्ट है कि राजस्व बचत 2498 करोड़ का बजट अनुमान बढ़कर 4645 करोड़ हो गया है। 2008-09 में यह राशि 4669 करोड़ रू0 थी तथा बजट अनुमान के अनुसार यह 2009-10 में 6122 करोड़ रूपये है। इसी प्रकार 2007-08 में राजकोषीय घाटा 1705 करोड़ रूपये हुआ। जो महालेखाकार आंकड़ों के अनुसार 2008-09 में 2507 करोड़ है। चूंकि राज्य लगातार राजस्व बचत की स्थिति में है, अतः यह स्पष्ट है कि लिए जा रहे ऋण का उपयोग पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ऋणों को वहन योग्य बनाने हेतु एक निक्षेप निधि का सृजन किया है। इस निधि में 2008-09 एवं 2009-10 में कुल मिलाकर 280 करोड़ की राशि जमा की गई है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित है। इस राशि का उपयोग 5 वर्ष बाद ऋण अदायगी के लिए किया जाएगा। द्वादश वित आयोग की अनुशंसा के अनुरूप 2009-10 के लिए भारत सरकार द्वारा 384 करोड़ के ऋण राहत की सुविधा मुहैया की गई है। 2007-08 के लिए भी ऋण राहत की योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राहत की सुविधा प्राप्त की गई है। 2008-09 में 5927.89 करोड़ रूपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 5708.17 करोड़ रूपये की राशि ली गई है। 2008-09 में 1682.28 करोड़ रूपये की ऋण अदायगी की गई। 2009-10 में 1884.16 करोड़ के ऋण की वापसी होगी।

4. उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है राजस्व बचत की स्थिति 2009-10 एवं आगामी वर्षों में बने रहने की संभावना है। यह राज्य सरकार को उत्पादक परिसम्पतियों के सृजन के लिए अधिकाधिक निवेश करने की क्षमता प्रदान करेगी। यह उल्लेखनीय है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखना है। अतः उस सीमा के अन्तर्गत रहते हुए अधिकाधिक व्यय का कार्यक्रम है।

5. उपर्युक्त लक्ष्यों के निर्धारण में निम्नलिखित पूर्वानुमानों को आधार बनाया गया है।

(क) 2010-11 से 13वीं वित्त आयोग की अवधि प्रारम्भ होगी। उक्त आयोग का प्रतिवेदन अबतक संसद के समक्ष रखा नहीं गया है, अतः उनके अनुशंसाओं के संबंध में जानकारी नहीं है। यह माना जा रहा है कि पिछली आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर जो वृद्धि हुई है वह भविष्य में भी बनी रहेगी।

(ख) केन्द्रीय छठे वेतन की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन धारियों के पेंशन का पुनरीक्षण 01.01.06 से वैचारिक रूप से तथा 01.04.07 से वास्तविक रूप से किया गया है। बकाये वेतन का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर पाँच समतुल्य वार्षिक किस्तों में तथा बकाए पेंशन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर 15 प्रतिशत 40 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत के तीन वार्षिक किस्तों में होना है। व्यय के अनुमान में इसे ध्यान में रखा गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों यथा पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, विधि, तकनीकी विभागों मे विकास को गति देने के लिए रिक्तियों को भरने का कार्यक्रम है। इनका ध्यान पूर्वानुमान को तैयार करने में रखा गया है।

(घ) पेंशन के व्यय का आकलन पिछले वित्तीय वर्षो का ट्रेंड तथा पेंशन पुनरीक्षण के आदेश को ध्यान में रखकर किया गया हैं। 01.09.05 से नई पेंशन योजना लागू की गई है। यद्यपि पेंशन की राशि की कटौती नए पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मियों के वेतन की जा रही है, किन्तु निवेश की कार्रवाई अबतक प्रारम्भ नहीं हो पाई थीं। इस निमित्त भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप एन.पी.एस ट्रस्ट, नई दिल्ली से एकरारनामा की गई है। आशा की जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष से यह कार्य प्रारम्भ हो जाएगी। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटा से संबंधित लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, जिसकी निरंतरता भविष्य में भी बने रहने की संभावना है।

6. वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार का लोक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 29.79 प्रतिशत है। यह मानते हुए कि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक सीमित रखेगी, 2011-12 तक यह लोक ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 28.69 प्रतिशत हो जाएगा। लोक ऋण का यह भार वहन करने योग्य है।

7. अगले 10 वर्षों के लिए वार्षिक पेंशन दायित्व निम्नवत् हैः-

अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा	
वर्ष	**राशि (करोड़ रूपये में)**
2010-11	5873.47
2011-12	6460.82
2012-13	7106.90
2013-14	7817.59
2014-15	8599.35
2015-16	9459.28
2016-17	10405.21
2017-18	11445.73
2018-19	12590.30
2019-20	13849.34

राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण

इस विवरणी में, जैसा कि बिहार राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रावधानित किया गया है, निम्नलिखित विषय आच्छादित हैं-

1. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के कराधान, व्यय, ऋण एवं अन्य दायित्व (लोक उपक्रमों एवं अन्य Special Purpose Vehicle या अन्य ऐसे उपक्रम जिनके ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, लोक सेवाओं/वस्तुओं के लिए उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य क्रियाकलाप जैसे गारंटी अथवा लोक उपक्रमों के क्रियाकलाप जिनका राज्य के बजट पर असर पड़ सकता हो, से संबंधित राजकोषीय नीतियाँ।

2. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय प्रक्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ।

3. महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय एवं कराधान, अनुदान, व्यय, ऋण एवं उपभोक्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में कोई भारी बदलाव/औचित्य।

4. राज्य सरकार की वर्तमान नीतियां राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों की तुलना में।

(क) राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन :

राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है। राजकोषीय नीति का मुख्य आधार इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए उद्देश्य एवं प्रबंधन सिद्धांत ही हैं। अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटे को 2008-09 तक समाप्त करना है, परन्तु इसे 2005-06 से ही समाप्त किया जा चुका है। राज्य सरकार ने स्वयं एक राजकोषीय सुधार पथ (Fiscal Correction Path) विकसित की है, जिसके अनुसार 2004-10 तक प्राप्त नतीजों के संकेतकों को दर्शाया जाना है। राजस्व बचत का उपयोग पूर्व में लिए गए अधिक ब्याज दर वाले ऋण की अदायगी एवं पूंजीगत व्यय के लिए किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वहनीय स्तर तक ही सीमित रखा जा रहा है और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही अधिकतम ऋण लिया जा रहा है, जिससे राज्य के विकास के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटाये जा सकें। राज्य में कर-राजस्व के अधिकाधिक

संग्रहण पर जोर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक राजस्व बचत हो और विकास के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। राज्य में गैर-कर राजस्व के श्रोत अत्यंत कम हो गए है क्योंकि खनन क्षेत्र झारखंड में चला गया है। राज्य की आधारभूत संरचना में पूर्व से ही निवेश में कमी रहने के कारण मूलभूत सुविधाओं पर उपभोक्ता प्रभार लगाकर गैर कर राजस्व बढ़ाने की संभावनाएँ सीमित हैं। जैसे-जैसे मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोक्ता प्रभार के माध्यम से गैर कर राजस्व में बढ़ोत्तरी की जायेगी। व्यय में प्राथमिकता आधारभूत संरचना यथा सड़क, पुल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, बिजली को ही दी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। कर प्रणालियों का अधिकाधिक कम्प्युटराइजेशन, कर प्रणाली में सुधार, दरों को युक्तिसंगत करना एवं कर वंचना को रोकना सुनिश्चित किया जा रहा है। लोक उपक्रमों को गारंटी भी सीमित रूप से केवल वहीं दी जा रही है, जहां केन्द्र की वित्तीय संस्थाएं यथा नाबार्ड आदि राज्य सरकार की गारंटी के बिना ऋण नहीं देंगी। वर्ष 2008-09 के अन्त तक लोक ऋण 39,291 करोड़ रूपये है। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 29.79 प्रतिशत है। 2008-09 में ब्याज अदायगियों पर 3753 करोड़ रूपये का व्यय था जो कुल राजस्व प्राप्तियां का 11.38 प्रतिशत है। यह भी वर्ष 2002-03 के ऊंचे स्तर 27.5 प्रतिशत की तुलना में काफी सुधार है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार यह घटकर 9.55 प्रतिशत हो जायेगा, जो राजकोषीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक सराहनीय उपलब्धि है।

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय नीति :

जैसा कि उपरोक्त् कंडिका में उल्लेख किया गया है व्यय में आधारभूत संरचना - बिजली, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालयों तथा लोक सेवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा - राशन, ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता जारी रखी जायेगी जहां तक संभव है, बिजली एवं महत्वपूर्ण सड़क, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। विद्युत बोर्ड को प्रतिमाह अनुदान 60 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है जो मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कम दर पर दिये जाने के कारण है। लेकिन इसे भी युक्तिसंगत बनाया जायेगा। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए चीनी मिलों के पूंजीगत निवेश में पूंजीगत अनुदान एवं सभी नई इकाइयों के निवेश में मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस कारण इन मदों में अनुदान बढ़ने की संभावना है। इस पर भी लगातार नजर रखी जायेगी। उच्च शिक्षा के प्रक्षेत्र में भी अनुदान प्रति वर्ष

लगभग 1072 करोड़ रूपये हो गया है, जिसके सदुपयोग एवं उच्च शिक्षा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। शहर आर्थिक विकास के लिए प्रेरक का कार्य करते हैं अतः उनकी आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना आवश्यक है, जिसके लिए राज्य सरकार लोक एवं निजी निवेश सुनिश्चित करेगी। यद्यपि ऋण की अधिकतम सीमा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के अंतर्गत ही रखी जायेगी, लेकिन राज्य सरकार अधिकाधिक प्रयास करेगी कि बाह्य संस्थाओं से बाजार से अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर एवं दीर्घावधि का अधिकाधिक ऋण लिया जाय। इसी तरह नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के लिए कम दर पर ऋण प्राप्त होता है। अतः इस श्रोत से भी अधिकाधिक ऋण प्राप्त किया जायेगा। इस तरह इन ऋणों पर सूद मद में कम भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार सरकारी उपक्रमों को गारंटी एवं अनुदान को सीमित रखेगी और लगातार अनुश्रवण कर सुनिश्चित करेगी कि उन ऋणों की अदायगी का दायित्व राज्य सरकार को नहीं वहन करना पड़े।

(ग) कर नीतिः-

कर की दरों केा युक्तियुक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैद्यिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कर संग्रहण में जुड़े लोगों के कार्यकलापों की समय समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है। इन्हीं सब कारणों से मंदी के बावजूद भी राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में 20 प्रतिशत से भी अधिक का उछाल है। केन्द्रीय स्तर पर गठित वित मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के द्वारा जी.एस.टी. लागू करने पर विचार हो रहा है किन्तु इसका अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने की संभावना नहीं है।

अपने कर के दरों को युक्तियुक्त बनाने के लिए 2010-11 के लिए वित्त विधेयक लाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैः-

(i) 40 लाख तक के वार्षिक सकल आवर्त वाले व्यवसायियों को वैट के अन्तर्गत यह विकल्प दिया जा रहा है कि वे एकमुश्त राशि 12500 रूपये का भुगतान कर सकते हैं। आशा है कि इससे बहुत सारे व्यवसायी जो तत्काल कराधार के अन्तर्गत नहीं हैं, उसके अधीन चले आएंगे।

(ii) छविगृह मालिकों को भी अब मात्र विहित रीति से निर्धारित एकमुश्त भुगतान की सुविधा रहेगी। इसी प्रकार छविगृहों के उन्नयन के लिए एक निर्धारित राशि कर्णांकित की जा रही है जो मनोरंजन कर से विमुक्त रहेगा। तदनुसार मनोरंजन कर अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं।

(iii) जो सब्सक्राइबर डायेरेक्ट टू होम सेवा के अन्तर्गत मनोरंजन की सुविधा प्राप्त करते हैं, उनके निमित्त मनोरंजन प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा संग्रहित राशि पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार मनोरंजन कर देय होगा।

(iv) बिहार मोटरवाहन करारोपन अधिनियम में संशोधन लाकर ट्रैक्टर, टेम्पु ईत्यादि के निबंधन शुल्क में एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पुराने वाहनों के शुल्क में वृद्धि की जा रही है।

(घ) सरकारी व्यय प्रशासन संबंधित पहल :-

राज्य सरकार द्वारा वित प्रबंधन सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाये गए हैं-

(i) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम

(ii) विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

(iii) बिहार वित्तीय नियमावली में संशोधन

(iv) व्यय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चौमासिक सीमा हटाना, महालेखाकार से अनावश्यक प्राधिकार पत्र को हटाना

(v) आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की व्यवस्था का सुदढ़ीकरण

(vi) वित्त विभाग में वित्त प्रबंधन के लिए आर्थिक विश्लेषण कोषांग की स्थापना।

(vii) ऋण भुगतान के लिए निक्षेप निधि का सृजन

(viii) सभी कोषागार/उप कोषागार को कम्प्युटरीकृत कर दिया गया है, ये कोषागार BSWAN एवं SECLAN द्वारा एक दूसरे से तथा विभागों से जुड़ गए हैं। कोषागार का प्रबंधन CTMIS के माध्यम से हो रहा है। इसका यह लाभ है कि आय-व्यय इत्यादि से संबंधित सारे आंकड़े उसी समय उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे ही राशि की प्राप्ति अथवा व्यय होता है। इससे वित्तीय व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है।

(ix) CTMIS के उपयोग से कोषागार/उप कोषागार के लेखे बिल्कुल अद्यतन हो गए हैं।

(x) CTMIS के उपयोग के फलस्वरूप अब प्रत्येक माह प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके द्वारा की गई निकासी से संबंधित विवरणी

टीभी नं0 सहित महीना समाप्त होते ही भेज दिया जाता है ताकि वे उन आंकड़ों का मिलान अपने लेखे से कर लें। इससे भी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई हैं।

(xi) बजट की प्रक्रिया में भी कम्प्युटरीकरण का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से व्यय प्रशासन प्रबंधन में प्रणालीगत सुधार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके निम्नलिखित मुख्य अवयव हैं:-

(i) पुराने बिहार कोषांगार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, एवं आतंरिक अंकेक्षण व्यवस्था में देश-विदेश की सर्वोतम प्रक्रियाओं के आधार पर आमूल-चूल सुधार।

(ii) नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी व्यय प्रबंधन सुधार का कार्यक्रम।

(iii) विभागों में आतंरिक वित्त सलाहकार की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण आदि से उनकी क्षमता में वृद्धि।

(iv) व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजना एवं विकास विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग का गठन। विभागों में भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(v) ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली को लागू किया जाना।

(vi) महालेखाकार की अंकेक्षण आपत्तियों क अनुश्रवण की व्यवस्था सुदृढ़ करना। आंतरिक वित्त अंकेक्षण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नई तकनीक से अंकेक्षण।

(vii) निगरानी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

(viii) मुख्य संस्थाओं यथा बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित हो रहे कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

(ङ) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की नीतियों का मूल्यांकन :

राज्य सरकार की नीतियां सामान्यतः राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में प्रावधानित लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप है। विशिष्ट राजस्व घाटा समाप्त करने का लक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित तिथि से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। राजस्व बचत में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राजकोषीय घाटा भी अधिनियम के लक्ष्यों के अनुसार सीमित रखा जा

रहा है और आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखा जाने का प्रावधान किया गया है। राजस्व बचत एवं लिए गए ऋण का उपयोग पूंजीगत व्यय और पूर्व में ऊंचे दर में लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया जा रहा है। व्यय में भी आधारभूत संरचना यथा सड़क, बिजली, विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण/मरम्मती, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को प्राथमिकता रही है। कर प्रशासन में सुधार, दरों को युक्तिसंगत करना, कर संग्रहण प्रक्रिया के उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत करते हुए राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी का निरंतर प्रयास हो रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एवं अन्यथा भी सरकारी संव्यवहार में पारदर्शिता बरती जा रही है। अधिकाधिक सूचना लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है।

केन्द्रीय वेतनमान लागू किए जाने तथा नए पदों की स्वीकृति/रिक्तियां भरे जाने के कारण स्थापना व्यय बढ़ा है। यद्यपि एक अच्छी गुणवत्ता की सेवा प्रदान करते हुए कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, तथापि स्थापना व्यय पर ध्यान रखा जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश के लिए मूल्य वर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है, इस पर लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है चूंकि इसकी कोई ऊपरी सीमा नही रखी गई है। सामाजिक कल्याण के मद में जो विशेष वर्गो के लिए कल्याण योजनायें शुरू की गई है उनमें भी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत बोर्ड एवं विश्व विद्यालयों के बढ़ते अनुदान को भी सीमित करने की आवश्यकता है। यद्यपि उच्च कोटि के शिक्षा प्रबंधन संस्थानों एवं विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की राज्य में आवश्यकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में निजी निवेश भी संभव है एवं इनमें सेवा चाहने वाले सेवा शुल्क अदा करने में भी सक्षम हैं। कुछ ऐसे वर्ग जो सेवा शुल्क देने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन्हें सरकार सहायता दे सकती है। इन क्षेत्रों में सीधे लोक निवेश न कर लोक निवेश अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएँ एवं महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं के सुधार के लिए कर्णांकित किया जा सकता है। आधारभूत क्षेत्रों में यथा सड़क, स्वास्थ्य आदि में उपभोक्ता शुल्क लगाने में अभी समस्या है चूंकि इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में अभी और सुधार की आवश्यकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

∞∞∞∞∞∞∞